प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
दाण्डिक अपील संख्या : 233 / 1992

अपीलार्थी (जेल मे) :– निरंजन सिंह उर्फ भगत, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता – फितर, जाति – गोंड, निवासी – बेलसारा , थाना – तखतपुर, जिला – बिलासपुर।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी :– मध्य प्रदेश राज्य

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
दाण्डिक अपील संख्या : 233 / 1992

अपीलार्थी (जेल मे) :– निरंजन सिंह उर्फ भगत, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता – फितर, जाति – गोंड, निवासी – बेलसारे, थाना – तखतपुर, जिला – बिलासपुर।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी :– मध्य प्रदेश राज्य

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दाण्डिक अपील संख्या : 233 / 1992</u>

निरंजन सिंह उर्फ भगत

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

विचारार्थ निर्णय

दिलीप रावसाहेब देशमुख,
न्यायाधीश
दिनांक : 25–07–2005

माननीय श्री न्यायमूर्ति फ़खरुद्दीन

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/–
फ़खरुद्दीन,
न्यायाधीश
दिनांक : 26–07–2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय घोषणा हेतु नियत : 26–07–2005

हस्ताक्षरित/–
फ़खरुद्दीन,
न्यायाधीश
<u>दिनांक : 26–07–2005</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दाण्डिक अपील संख्या : 233 / 1992</u>

निरंजन सिंह उर्फ भगत

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

विचारार्थ निर्णय

दिलीप रावसाहेब देशमुख,
न्यायाधीश
दिनांक : 25–07–2005

माननीय श्री न्यायमूर्ति फ़खरुद्दीन

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/–
फ़खरुद्दीन,
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक : 26–07–2005

निर्णय घोषणा हेतु नियत : 26–07–2005

हस्ताक्षरित/–
फ़खरुद्दीन,
न्यायाधीश
<u>दिनांक : 26–07–2005</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दंडिक अपील क्रमांक 233/1992</u>

निरंजन सिंह उर्फ भगत
बनाम
मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

कोरम :
माननीय श्री फखरुद्दीन एवं माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्तिगण

अपीलार्थी की ओर से – श्री अरुण कोचर,
राज्य की ओर से – श्री रविंद्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>निर्णय</u>

[निर्णय दिनांकित : 26–07–2005 को घोषित किया गया]

<u>दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश द्वारा</u>

1) यह अपील, श्री सी. बी. एस. पटेल, छठवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 259/90 में दिनांक 03 दिसंबर, 1991 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी अभियुक्त को दिनांक 28.6.1990 को शाम 4 बजे ग्राम बेलसरा, थाना – तखकपुर, जिला बिलासपुर मय गोवर्धन दास मानिकपुरी की हत्या कारीत करने हेतु भा दं सं की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है।

2) संक्षेप में अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि — ग्राम पंचायत तथा लोकसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान हुए पूर्व विवाद के कारण उत्पन्न शत्रुता के चलते, अपीलार्थी अभियुक्त निरंजन सिंह उर्फ भगत ने दिनांक **28–06–1990** को लगभग अपराह्न **4:00 बजे**, ग्राम

बेलसरा स्थित जगन्नाथ मोची के खेत में लोहे की कुदारी और बांस की लाठी से गोवर्धनदास माणिकपुरी उर्फ मुसवा पर हमला कर दिया, जिससे गोवर्धनदास को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना को झाडूराम (अ.सा.–2), मलखाम (अ.सा.–3) तथा शिवकुमार (अ.सा.–13) ने देखा।

3) मृतक के भाई गोविंद दास द्वारा थाना लोरमी में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.–13) दर्ज कराई गई। अन्वेषण के दौरान, दिनांक 30–06–1996 को, अभियुक्त अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी.–1) के आधार पर, एक बांस की लकड़ी, एक लोहे की कुदाली, एक पुरानी लुंगी जिस पर रक्त जैसे धब्बे थे, तथा एक सूती चड्डी जिस पर भी रक्त जैसे धब्बे पाए गए प्रदर्श पी 2 के द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी गण से जब्त की गई।

4) डॉ. आर. के. भांगे (अ.सा.–6) ने गोवर्धन दास के शव का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित बाह्य चोटें पाई गईः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) बाईं पैर पर 2 x 1 सेमी तथा 8.5 x 1.5 सेमी का घाव जो मांस तक गहराई तक कटने जैसा प्रतीत होता है।

(2)घुटने के ठीक नीचे 1 x 0.5 सेमी का कटने जैसा घाव पाया गया।

(3)बाईं आँख के बाहरी कोने पर 4 x 1.5 x 3.5 सेमी का गहरा कटने जैसा घाव पाया गया।

(4)बाईं आँख की ऊपरी एवं निचली पलकों की पहचान स्पष्ट रूप से नहीं हो सकी। बाईं नेत्रगुहा (ऑर्बिटल फोसा) में रक्त का थक्का तथा मांस का टुकड़ा पाया गया। बाईं आँख का नेत्रगोलक (आईबॉल) अनुपस्थित था।

(5)सिर के बाएं पार्श्व में स्थित पेरईटो–ऑक्सिपिटल क्षेत्र पर 5 x 3 सेमी का घाव, जो त्वचा के गहराइ तक कटने जैसा प्रतीत होता है।

(6)सिर की बाई पेराइटल स्कैल्प पर 4 x 1 सेमी का कटने जैसा घाव पाया गया।

डॉ. भांगे ने बाईं पेराइटल हड्डी में 10 सेमी का अस्थि–भंग पाया, बाईं ऑक्सिपिटल हड्डी में 6 सेमी का अस्थि–भंग पाया, ऑर्बिटल (फ्रांटो–टेम्पोरल) हड्डी के बाईं बाहरी कोने में 3 सेमी का एकल टुकड़े में अस्थि–भंग पाया। मस्तिष्क के बाईं पेराइटल भाग में झिल्ली क्षतिग्रस्त तथा द्रवित मस्तिष्क पदार्थ बहार आ गया। उन्होंने राय दी कि मृत्यु का कारण रक्त की कमी और सिर में चोट था, और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी। अभियुक्त अपीलार्थी से जब्त की गई लाठी और कुदारी की परिक्षण करने पर, डॉ. भांगे ने राय दी कि गोवर्धन दास माणिकपुरी को लगी चोटें इन हथियारों से संभवतः लग सकती थीं।

5) दिनांक 01–07–1990 को, अभियुक्त द्वारा यह सूचना देने पर कि मृतक ने भी उस पर लाठी से हमला किया था तथा उसकी गर्दन को नाखूनों से दबाया था, अभियुक्त अपीलार्थी को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ. हबीब ने अभियुक्त अपीलार्थी के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई:

(i) गले के दाहिने भाग में मध्य रेखा से 1 इंच दूर एक हल्का खरोंच का निशान।

(ii) गले के बाईं ओर और पार्श्व में लगभग ½ इंच का हल्का खरोंच।

(iii) बाईं कनपटी पर 2 इंच लंबा रेखीय खरोंच का निशान।

(iv) बाएं कान के पीछे फैला हुआ हल्का, लुप्त होता जा रहा सूजनयुक्त नीला निशान।

(v) वक्ष–पृष्ठीय भित्ति (छाती की पीठ की ओर की दीवार) में दर्द की शिकायत, परंतु कोई स्पष्ट बाह्य चोट दृष्टिगोचर नहीं हुई।

अंवेषण पूर्ण होने पर अभियुक्त अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजित किया गया।

6) अभियुक्त अपीलार्थी ने अपना दोष अस्वीकार किया, निर्दोष होने का अभिवाक किया एवं स्वयं को झूठा फंसाए जाने का प्रतिरक्षण प्रस्तुत किया, तथा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7) अभियोजन पक्ष ने कुल 16 साक्षियों का परीक्षण कराया। विचारण न्यायालय ने झाडू राम (अ.सा.–2), मलखाम (अ.सा.–3), एवं शिवकुमारी (अ.सा.–13) के चक्षुदर्शी कथनों पर विश्वास करते हुए, जिन्होंने अभियुक्त अपीलार्थी को गोवर्धन दास माणिकपुरी पर प्रहार करते देखा था, अभियुक्त अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत गोवर्धन दास की हत्या करने का दोषी ठहराया।

8) अपीलार्थी की और से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यतः यह तर्क दिया कि झाडूराम (अ.सा–2), मलखाम (अ.सा–3) एवं शिवकुमारी (अ.सा–13) की कथन में उस हथियार के संबंध में गंभीर विसंगतिया है, जिससे कथित रूप से अभियुक्त अपीलार्थी ने गोवर्धन दास माणिकपुरी पर प्रहार किया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि झाडूराम (अ.सा–2) तथा मलखाम (अ.सा–3) की यह कथन कि अभियुक्त अपीलार्थी ने लाठी से गोवर्धन दास पर हमला किया था, डॉ. भांगे (अ.सा–6) की चिकित्सकीय कथन के कारण पूरी तरह अविश्वसनीय हो जाती है, क्योंकि उन्होंने मृतक के शरीर पर ऐसी कोई भी चोट नहीं पाई, जो लाठी से हुई हो। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त अपीलकर्ता को हुई चोटों का स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, जिससे यह प्रतिरक्षा विश्वसनीय प्रतीत होती है कि घटनास्थल पर झगड़े के दौरान अभियुक्त को स्वयं गोवर्धन दास माणिकपुरी द्वारा चोटें पहुंचाई गईं, जो स्वयं आक्रामक पक्ष था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि चक्षुदर्शी साक्षियों की कथन पर विश्वास किया जाए, तब यह माना जाना चाहिए कि अभियुक्त ने गोवर्धन दास माणिकपुरी पर प्रहार किया था, परंतु यह प्रहार निज रक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था, और यदि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा कोई अपराध किया भी गया हो, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–2 से ज्यादा नहीं हो सकता। इस संदर्भ में, **<u>दातु शामराव साखरे बनाम महाराष्ट्र राज्य</u> (2005 क्रि.एल.जे. 125), <u>राजस्थान राज्य बनाम भंवर सिंह</u> (वॉल्यूम–IV (2004) क्रि.आर. 8 एससी), <u>सिद्ध गोपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य</u> (2003 क्रि.एल.जे. 4116), <u>उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्यामवीर</u> (2005 क्रि.एल.जे. 2606) एवं <u>सुरेश चंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य</u> (2003 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 801)** के निर्णयों पर भरोसा किया गया।

9) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विदवान पैनल अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन विश्वसनीय है तथा विचारण न्यायालय द्वारा उन पर भरोसा किया जाना उचित था। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को जो चोटें आई थीं, वे केवल मामूली रेखीय खरोंचें और बाएं कान के पीछे हल्का पड़ता हुआ रक्ताकर्ष (फेडिंग कंटूज़न) थीं, साथ ही पीठ के वक्षीय भाग में दर्द की शिकायत थी, परंतु कोई दृश्य चोट उपस्थित नहीं थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ये चोटें अभियुक्त अपीलार्थी को उस समय लग सकती थीं जब वह गोवर्धन दास पर हमला करने के मानिकपुरी उसका पीछा कर रहा था और। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा बहस के दौरान उठाई गई प्रतिरक्षा यह सिद्ध करती है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित था तथा उसने गोवर्धन दास पर प्रहार किया था। गोवर्धन दास को लगी चोटों की प्रकृति तथा जिस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा उसका पीछा कर हमला किया गया, वह स्पष्ट रूप से अभियुक्त को आथया को प्रमाणित करता है और इसलिए यह अपराध किसी भी प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–1 के अंतर्गत नहीं आता है ।

10) हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया और अभिलेखों का परिशीलान भी किया। जहां तक गोवर्धन दास माणिकपुरी की मृत्यु की हत्यात्मक प्रकृति (हत्यात्मक स्वरूप) का प्रश्न है, डॉ. भांगे ने अपनी रिपोर्ट में चोट क्रमांक 1 से 3 को कटा हुआ चोटें बताया है। परंतु अपनी रिपोर्ट अथवा मृत्यु के कारण से संबंधित अभिमत में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि ये चोटें किसी धारदार वस्तु से आई थीं। अपने मुख्य परीक्षण (मुख्य प्रतिपरीक्षण) के कण्डिका 11 में उन्होंने यह कहा कि गोवर्धन दास को जो चोटें आई थीं, वे लाठी और कुदरी से लग सकती हैं, जिन्हें परीक्षण हेतु उन्हें भेजा गया था। प्रतिपरीक्षा मे बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में कुछ भी सामने नहीं लाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कण्डिका 15 में उन्होंने यह अभिमत दिया कि मृतक को लाठी से चोटें आई थीं और साथ ही अन्य कटी हुआ चोटें भी थीं। यह तथ्य कि गोवर्धन दास को बाईं पार्श्विक हड्डी (कण्डिका इटल बोन) में 10 सेमी की दरार, बाईं ऑक्सिपिटल हड्डी में 6 सेमी की दरार तथा नॉन–टेम्पोरल हड्डी के बाएं कोने में के साथ–साथ बाईं पार्श्विक झिल्ली (मेम्ब्रेन) का फटना पाया गया — यह सभी तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि गोवर्धन दास की मृत्यु हत्यात्मक थी। विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को अपिलार्थियो के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील में चुनौती नही दी है।

11) विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को मुख्यतः चक्षुदर्शी साक्षियों — शिवकुमारी (अ.सा.–13), झाडूराम (अ.सा.–2) और मलखाम (अ.सा.–3) — की कथन के आधार पर दोषसिद्ध किया। अतः अब हम यह परीक्षण करते है, कि क्या इन साक्षियों की चक्षुदर्शी कथन विश्वसनीय है और क्या यह अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है।

12) शिवकुमारी (अ.सा.–13) मृतक की पुत्री है। उसने यह कहा कि घटना के समय जब वह नाले में प्राकृतिक क्रिया हेतु गई हुई थी, तभी उसने अपने पिता की चिल्लाने की आवाज सुनी जो जगन्नाथ के खेत से आ रही थी। वह उठकर भागी और देखा कि अभियुक्त अपीलार्थी उसके पिता का पीछा कर रहा था और कुदरी से उनके सिर एवं आंख के पास प्रहार किया , जिससे उसके पिता वहीं खेत में गिर पड़े। यह देखकर वह घबरा गई और सीधे वहां से घर भाग गई । यह कथन पूर्णतः अविवादित है क्योंकि प्रतिपरीक्षण में इस गवाह से घटना के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। समयलाल लहरे, पटवारी (अ.सा.10) द्वारा तैयार स्थल मानचित्र (प्रदर्श पी.12) में वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ शिवकुमार ने घटना को देखा था, जो इस गवाह की कथन से मेल खाता है। स्पष्टतः, इस गवाह ने घटना को काफ़ी दूरी से देखा था।

13) झाडूराम (अ.सा.–2) ने बयान दिया कि घटना की तिथि को लगभग दोपहर 4:00 बजे जब वह खेत से लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि गोवर्धन दास जगन्नाथ के खेत में खड़ा था। तभी अभियुक्त अपीलार्थी पीछे से आया और गोवर्धन पर लाठी से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। गोवर्धन के हाथ में तुतारी (लाठी जैसी वस्तु) थी, जिससे उसने अभियुक्त के प्रहारों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वह ऐसा करने में असफल रहा, तो वह भाग गया। इस पर अभियुक्त भी उसका पीछा करते हुए लाठी से प्रहार करता रहा। प्रति परीक्षण में गवाह ने कहा कि उन्होंने घटना को लगभग 50 से 60 गज की दूरी से देखा था और वह यह नहीं गिन पाए कि अभियुक्त ने गोवर्धन दास पर कितनी बार लाठी से प्रहार किया। इस कथन को अभिखंडित करने के लिए प्रति परीक्षण कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। स्थल मानचित्र (प्रदर्श पी–12) इस गवाह की कथन की पुष्टि करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14) मलखाम (अ.सा.–3) ने बताया कि घटना की तिथि को लगभग 4:00 बजे जब वह खेत से लौट रहा था और बांधवा तालाब के किनारे पहुंचा, तब उसने देखा कि अभियुक्त गोवर्धन दास पर लाठी से प्रहार कर रहा था। उसने यह भी कहा कि झाडूराम उसके पीछे हल लेकर आ रहा था। प्रति परीक्षण में गवाह ने कहा कि उसने यह नहीं गिना कि अभियुक्त ने कितनी बार लाठी से मारा और यह नहीं कह सकता कि अपीलार्थी के हाथ में तुतारी थी या नहीं। उसने यह भी कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि लाठी से गोवर्धन दास के शरीर के किन–किन हिस्सों पर वार किया गया। गवाह ने कहा कि घटना देखने के बाद वह सीधे अपने घर चला गया और गांव में शाम को जब यह चर्चा हुई कि गोवर्धन दास की मृत्यु हो गई है, तब

वह शव को देखने नहीं गया। हम पाते हैं कि इस गवाह की कथन को भी प्रति परीक्षण में खंडित नहीं किया गया है।

15) सहायक उप निरीक्षक सी.के. गजबिये (अ.सा.–16) द्वारा 29–06–1990 को किए गए मृत्यु समीक्षा (प्रदर्थ पी–7) में भी शिवकुमारी (अ.सा.–13), झाडूराम (अ.सा–2) और मलखाम (अ.सा.–3) की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है, और यह स्पष्ट करता है कि गोविंद दास द्वारा 28–06–1990 को दर्ज कराई गई देहाती नालिश (प्रदर्थ पी–13) और 29–06–1990 के मृत्यु समीक्षा (प्रदर्थ पी–7) में हमलावर का नाम क्यों नहीं है। इन साक्षियों की घटना स्थल पर उपस्थिति स्वाभाविक थी और इसे प्रति परीक्षण में चुनौती नहीं दी गई। प्रति परीक्षण में ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध हो कि इन साक्षियों को अपीलार्थी के विरुद्ध कोई रंजिश थी या उनके उसे झूठा फंसाने का कोई कारण था।

16) शिवकुमारी (अ.सा.–13), झाडूराम (अ.सा.–2) एवं मलखाम (अ.सा.–3) की प्रति परीक्षण में ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त को मृतक द्वारा पहले मारा गया था या घटना के दौरान अभियुक्त को मृतक द्वारा कोई चोटें पहुचया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिए गए अभियुक्त के बयान में भी ऐसा कोई बचाव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने मात्र अभियुक्त को आई चोटों के आधार पर यह असफल प्रयास किया और तर्क दिया कि उक्त चोटें घटना के दौरान आई थीं और मृतक ही आक्रामक था। उपरोक्त तीनों चक्षुदर्शी साक्षियों के बयान का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि यह तर्क न तो विश्वसनीय है और न ही स्वीकार करने योग्य। झाडूराम (अ.सा.–2) की कथन स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मृतक गोवर्धन दास अभियुक्त द्वारा लगातार किए जा रहे लाठी प्रहारों से स्वयं को तुतारी से बचा रहा था और तत्पश्चात अपने प्राण बचाने हेतु भाग गया था। इसके बाद अभियुक्त अपीलार्थी ने उसका पीछा कर उस पर प्रहार करना जारी रखा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ही आक्रामक था और उसी ने गोवर्धन दास को घातक वार किए। जहाँ तक हथियार से संबंधित भिन्नता की बात है, वह स्वाभाविक प्रतीत होती है क्योंकि साक्षियों ने घटना को कुछ दूरी से देखा था। जहाँ तक अभियुक्त अपीलार्थी को लगी चोटों की बात है, उसके गले, बाईं कनपटी तथा कान के पीछे हल्की खरोंच व पुराने निशान पाए गए, जो चिकित्सकीय रूप से सतही तौर पर से आई खरोंच मानी गईं और आत्मप्रेरित भी हो सकती हैं। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

स्थापित हो सके कि अभियुक्त / अभ्युक्त पर ये चोटें मृतक द्वारा कारित की गई थीं। इस संदर्भ में तीनों चक्षुदर्शी साक्षियों से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। फ़ंडिका 5 (पूर्वोक्त) में वर्णित चोटें दिनांक 01–07–1990 को अभियुक्त अपीलार्थी के शरीर पर पाई गईं, जो चिकित्सकीय रूप से नाखून से आई खरोंच मानी गई और स्वयं कारित की गई भी हो सकती हैं।

17) शिवकुमारी (अ.सा.–13), झाडूराम (अ.सा.–2) तथा मलखाम (अ.सा.–3) की चक्षुदर्शी कथन तथा डॉ. भांगे के चिकित्सा साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विचारण करने पर हम पाते हैं कि न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित करने तक की अरोपी अपीलर्थी ने साशाय गोवर्धन दास की मृत्यु कारित हो गई चक्षुदर्शी कथन पर भरोसा किया जाना उचित था। जहाँ तक अपराध की प्रकृति का प्रश्न है, झाडूराम (अ.सा.–2) की कथन यह स्पष्ट करती है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने गोवर्धन दास पर सिर पर बार–बार लाठी से वार किया और जब वह भाग गया, तब भी उसका पीछा कर उसके शरीर के मार्मिक हिस्सों पर तब तक प्रहार करता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। गोवर्धन दास को मस्तिष्क की पार्श्विका, ललाट तथा पश्चकपाल , अस्थियों में आई गंभीर चोटें और अस्थिभंग यह स्पष्ट दर्शाते हैं कि अभियुक्त अपीलार्थी की गोवर्धन दास को मृत्यु कारित करने का स्पष्ट आशय था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18) हमने अभियुक्त अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों (case law) पर विचार किया है और पाया है कि उनमें वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियाँ इस प्रकरण से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। जहाँ तक **"सुरेश चौधरी बनाम बिहार राज्य"** (पूर्वोक्त) के प्रकरण है, उस प्रकरण में एकमात्र चक्षुदर्शी गवाह की कथन में स्पष्ट लौप एवं विरोधाभास पाए गए थे, तथा मौखिक एवं चिकित्सकीय साक्ष्य के बीच बम के प्रयोग को लेकर गंभीर विसंगति थी। मृतक के शरीर पर गोली लगने की बहुत चोटें पाई गईं थीं, जबकि घटनास्थल से केवल एक खाली कारतूस बरामद हुआ था, जिसे बैलिस्टिक विशेषज्ञ को भेजा गया था। किन्तु, वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं है। उपर्युक्त तीन चक्षुदर्शी साक्षियों की कथन न केवल स्वाभाविक है, बल्कि प्रति परीक्षण के दौरान पूर्णतः अखंडित रही है। **दत्तू शामराव वलके बनाम महाराष्ट्र राज्य** (पूर्वोक्त) का प्रकरण भी स्पष्ट रूप से भिन्न है क्योंकि उस प्रकरण में यह माना गया था कि घटना अचानक उत्तेजना के कारण हुई, जिसके बाद पक्षकारों के बीच संघर्ष हुआ और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सका कि झगड़े की शुरुआत किसने की। उस मामले

में अभियुक्त क्रमांक 1 ने केवल हवा में गोली चलाई थी और मृतक पर नहीं चलाई थी, तथा बाद में उसने एक कुल्हाड़ी उठाकर मृतक की गर्दन पर वार किया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त के आचरण और वृद्ध व्यक्ति पर हमले की शैली को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि उसे यह ज्ञान था कि उसका कृत्य मृत्यु कारक हो सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु का आशय नहीं था। अतः उसकी भा.दा.सा की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि को संशोधित कर धारा भा.दा.सा 304 भाग–1 के अंतर्गत किया गया। **हालांकि, वर्तमान मामले में अचानक और गंभीर प्रकोपन का कोई भी प्रमाण नहीं है।** ऐसा कोई संकेत तक नहीं है कि मृतक ने अपीलार्थी पर कोई हमला किया हो या वह आक्रामक पक्ष था। अभियुक्त अपीलकर्ता द्वारा मृतक पर बार–बार लाठी से वार करना और उसका पीछा करते हुए उसके शरीर के मार्मिक अंगों पर हमला करना इस मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद–2 के अंतर्गत नहीं लाता। **राजस्थान राज्य बनाम भंवर सिंह** (पूर्वोक्त) का प्रकरण भी अलग है क्योंकि उस प्रकरण में तीन चक्षुदर्शी साक्षियों ने हमले को देखने के बावजूद मौन साध लिया था। तीन गवाह मृतक की पत्नी द्वारा भेजे गए थे ताकि वे उसके शव को खोजें, इसलिए यह बहुत ही अस्वाभाविक था कि हमले को देखने के बावजूद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और चक्षुदर्शी साक्षियों की प्रति परीक्षण के दौरान ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे यह पूछा गया हो कि उन्होंने मृत्यु समाक्षी की रिपोर्ट क्यों नहीं की या घटना के समय मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। ऐसी प्रति परीक्षण के अभाव में, चक्षुदर्शी साक्षियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए, यह निर्णय भी अपीलकर्ता के पक्ष में सहायक नहीं है। **सिद्धा गोपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (पूर्वोक्त) का प्रकरण , जिस पर अपीलार्थी ने भरोसा किया है, वह भी स्पष्ट रूप से भिन्न है और अपीलार्थी के पक्ष में सहायक नहीं है। वास्तव में, उस मामले में यह माना गया कि अपीलार्थीगण द्वारा कारित की गई चोटें ऐसी थीं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि उनका सामान्य उद्देश्य हत्या करना था। अतः यह निर्णय तो वास्तव में अपीलार्थी के विरुद्ध जाता है। **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्यामवीर** (पूर्वोक्त) का प्रकरण भी एक गंभीर और अचानक प्रकोपन के मामले से संबंधित है, जिसमें अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद–1 का लाभ दिया गया था। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अतः, हम पाते हैं कि अपीलार्थी के पक्ष में प्रस्तुत सभी निर्णय इस मामले में उसकी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोई सहायता नहीं करते हैं।

19) अतः, हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि अभियुक्त अपीलार्थी ने गोवर्धन दास की हत्या करने के आशय से, उसके मारमिक अंगों पर घातक चोटें पहुँचाईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, और इस प्रकार वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत गोवर्धन दास मानिकपुरी की हत्या करने का दोषी है।

20) परिणामस्वरुप, हमें इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं तदानुसार यह अपील ख़ारिज की जाती है।

हस्ताक्षरित/–

फ़खरुद्दीन

न्यायाधीश

दिनांक:26–07–2005

हस्ताक्षरित/–

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

दिनांक:26–07–2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Aastha Verma